भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा– भदोही

ई–आक्शन नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की पिपरिस औद्योगिक सह–आवासीय योजना में व्यावसायिक भूखण्ड एवं निर्यात भवन में तृतीय तल पर स्थित हाल का आवंटन ई–आक्शन के माध्यम से किया जाना है। ई–आक्शन से सम्बन्धित विवरण दिनांक 20.11.2023 को ई–आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर अपलोड किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म दुकानों का विवरण एवं शर्तों का अवलोकन eauction.gov.in/eAuction/app पर कर ई–नीलामी प्रक्रिया में आवश्यक कार्यवाही कर भाग ले सकते है। आवंटन हेतु उपलब्ध दुकानों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	तल	सम्पत्ति की श्रेणी	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल संख्या	विक्रय मूल्य (रू0 में)	पंजीकरण/ ई0एम0डी0 धनराशि (रू0 में)
1.	पिपरिस औद्योगिक सह आवासीय योजना	व्यावसायिक भूखण्ड	92.71 112.00	1 1	1682686 2032800	170000 250000
2.	निर्यात भवन	व्यावसायिक हाल	121.42 192.32	4 4	6520861 10328545	650000 1035000
3	हरियॉव आवासीय योजना	दुकान	10.81 09.11	1 1	658400 554850	65000 55000

(1) ई–आक्शन दिनांक 20.11.2023 से प्रकाशित होगा।

(2) आवेदनकर्ता द्वारा ई–आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर दिनांक 20.11.2023 से दिनांक 11.12.2023 तक बिड डाउनलोड एवं सबमिट करेगा।

(3) ई–आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर दिनांक 12.12.2023 को आवेदनकर्ता की बिड का परीक्षण किया जायेगा एवं उक्त तिथि में ही वैध बिडर की बिड को ई–आक्शन पोर्टल पर ही सूचित किया जायेगा।

(4) जिन आवेदनकर्ताओं की बिड वैध पायी जायेगी। उन्हें दिनांक 13.12.2023 को समय 11:00 से 15:00 बजे तक ई–'आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर भाग लेने की अनुमति होगी।

(5) लाईव आक्शन दिनांक 13.12.2023 समय 11:00 से 15:00 बजे तक ही ई–आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर प्रदर्शित होगी।

नियम एवं शर्ते :–

1. प्रत्येक व्यक्ति/फर्म जिन्हें ई–आक्शन में प्रतिभाग करना है को क्लास थ्री डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी0एस0सी0) के साथ ई–आक्शन पोर्टल eauction.gov.in/eAuction/app पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को पहचान पत्र–आवास प्रमाण पत्र/पहचान पत्र (आधार कार्ड/ पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाइसेन्स की स्कैन कापी) पैन कार्ड की स्कैन कॉपी, ई–आक्शन फार्म की स्कैन कॉपी, जमा पंजीकरण (ई0एम0) धनराशि की रसीद, / बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 विवरण (खाता सं0 303702011402427 आई0एफ0एस0सी0 कोड नं0 UBIN0558559 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बीडा शाखा भदोही) पंजीकरण अवधि में अपलोड की जानी है। डाक अथवा कोरियर की वजह से देर से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट की जिम्मेदारी प्राधिकरण की नही होगी।
4. सभी सम्पत्तियों की उपरोक्त कीमत अनुमानित है। सम्पत्तियों की कीमत में कमी/वृद्धि सम्भावित है।
5. सभी सम्पत्तियों का आवंटन ई–आक्शन के माध्यम से ई–आक्शन पोर्टल

eauction.gov.in/eAuction/app पर किया जायेगा। आवंटन से सम्बन्धित नियम व शर्ते ई–आक्शन eauction.gov.in/eAuction/app पर प्राप्त किया जा सकता है।

6. आवेदक द्वारा पंजीकरण धनराशि को पंजीकरण अवधि के अन्दर ही बैंक ड्राफ्ट/नगद/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से, जो बीडा भदोही के पक्ष में देय होगा, को जमा करना अनिवार्य होगा। अगर किसी आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण धनराशि को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा किया जाता है तो बीडा, भदोही की खाता सं0 303702011402427 .आई0एफ0एस0सी0 कोड नं0 UBIN0558559 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बीडा शाखा भदोही में जमा करते हुए यू0टी0आर0 नं0 की रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदनकर्ता को प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग–अलग पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक पंजीकरण के साथ धनराशि रू0 1000.00 डाक्यूमेन्टेशंन शुल्क (ई–आक्शन शुल्क) तथा रू0 1000.00 फार्म शुल्क कुल रू0 2000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/ नगद/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से, जो बीडा भदोही के पक्ष में देय होगा, को जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त धनराशि आवेदनकर्ता को वापस नहीं की जायेगी।
8. आवेदन कर्ता/फर्म आवेदन हेतु ई–आक्शन फार्म पर जिस दुकान संख्या को अंकित करेगा। मात्र उसी दुकान के लिये ही ई–आक्शन हेतु अधिकृत रहेगा। ई–आक्शन फार्म प्रारूप–2 पर उपलब्ध है।
9. ई–आक्शन प्रति सम्पत्ति/दुकान/हाल के न्यूनतम आरक्षित मूल्य के आधार पर की जायेगी और प्रत्येक बिड का न्यूनतम अन्तर रू0 5000.00 होगा। प्रत्येक सम्पत्ति के लिये कम से कम 3 व्यक्ति/फर्म की वैध बिड प्राप्त होने पर ही संज्ञान लिया जायेगा एवं अधिकतम धनराशि वाले बिडर को प्रथम वरीयता दी जायेगी।
10. जिस आवेदनकर्ता की धनराशि अधिक होगी (सम्पत्ति मूल्य) का 25 प्रतिशत धनराशि बिड की स्वीकृति होने के अधिकतम एक सप्ताह में जमा करना होगा जिसमें जमा पंजीकरण धनराशि सम्मिलित होगी। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आंवटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर 08 त्रैमासिक किस्तों में अनुमन्य ब्याज के साथ जमा करना होगा। आवेदक यदि चाहे तो एक साथ ही अवशेष धनराशि जमा कर सकता है।
11. निर्धारित किस्तों की देय तिथि पर किस्त जमा न होने पर 18.00 प्रतिशत की दर से विलम्ब ब्याज देय होगा।
12. निबन्धन विलेख का समस्त व्यय आवंटी को वहन करना होगा।
13. आवंटी को योजना व सम्पत्ति की श्रेणी के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रीपेड लीज रेन्ट अथवा 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान आवंटन के उपरान्त करना होगा।
14. आवंटन के पश्चात ई–आक्शन में सफल व्यक्ति द्वारा दुकान न लेने अथवा धनराशि जमा न करने पर पंजीकरण शुल्क सहित जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. आवेदनकर्ता को ई–आक्शन हेतु अपलोड की गयी सभी विवरण की हार्डकापी प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 11.12.2023 तक उपलब्ध करानी होगी।
16. आवंटित सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुमति के बिना नही किया जायेगा।
17. आवंटित सम्पत्ति का किसी भी दशा में उप विभाजन नहीं किया जायेगा।
18. आवंटी को पंजीकरण एवं प्रदेशन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. नीलामी स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) भदोही में निहित है।
20. नियमों व शर्तों को बदलने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा। विनियमों में किसी बात के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण हित में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अन्यथा निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा।